(57)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 526 / 2013

खुदाबक्श पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान साकिन चक 8 जेड.डब्ल्यू.एम.

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व, घड़साना
2. वेदबक्श उर्फ बहदबक्श पुत्र गुलाम कादर साकिन 5 एम एल डी तहसील घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरबन्स सिंह
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री तिलकराज चुघ

निर्णय

दिनांक: 21.12.2017

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट के ताउ कमाल खां के नाम से तहसील घड़साना के चक 1 एस टी वाई का मु.नं. 68 / 62 की कुल 12 बीघा 19 बिस्वा कमांड भूमि आवंटन हुई थी। अपीलांट का ताउ कमाल खां अपने जीवन काल में कुंवारा ही मर गया था उसके बाद कमाल खां के तीन भाई सदू उर्फ सतू खां, सौना खां अपीलांट के पिता जलाल खां ही थे। इन तीनो की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट व उसके परिवार एवं अपीलांट का भाई ताउ बेटा गुलाम कादर के वारिसान वेदबक्श आदि ही रह चुके है क्योंकि ताउ का बेटा भाई गुलाम कादर की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट के ताउ की उक्त भूमि की प्रार्थी के ताउ के बाद ताउ के बेटे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वेदबक्श पुत्र गुलाम कादर ने फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार कर प्रार्थी के ताउ की कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत कर इंतकाल अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया।
2. यह कि अवाप्ताधीन भूमि अपीलांट एवं मृतक के वारिसान के कब्जा काश्त में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आलोच्य इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करवायी गयी। भूमि का इन्तकाल फर्जी वसीयत एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर स्वीकार किया गया। मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की जांच नहीं करवायी गयी। अपीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य इंतकाल का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 08.04.2013 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुआ। तत्पश्चात् आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 09.04.2013 को प्राप्त कर अपील अपीलान्ट इंतकाल के रोज से अन्दर मियाद पेश की है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट ने अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।
3. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि वसीयत का इंतकाल दर्ज करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी एवं संबंधित पक्षकारों की सुनवाई नहीं की गयी। वसीयत के आधार पर बिना किसी जांच के इन्तकाल दर्ज किया है, जो काबिल खारिज है। वसीयत एक तिहाई हिस्सा भूमि की ही कर सकता था, परन्तु वसीयतकर्ता को भ्रम में रखकर समस्त भूमि की करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रश्नगत भूमि के मौका कब्जा की जांच नहीं करवायी गयी। मौके पर कब्जा अपीलांट का है। जैर 34 बीघा भूमि दूसरे चक के चार भाइयों के मुस्तका खाते में दर्ज है। तीन खाते में भी कमाल खां का एक चौथाई हिस्सा था, 2014 में दिनांक 05.03.2014 को दिनांक 08.07.1992 की वसीयत के आधार पर दूसरी वसीयत की। इस प्रकार रकबे को दो जगह उपयोग किया है। तहसीलदार, घड़साना का दिनांक 05.03.2014 का निर्णय दोनों पक्षकारों को सुन कर पारित किया गया इसलिए अपील धारा 135(2) में संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 24.08.1993 के इंतकाल संख्या 26 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिए। अपील के अन्तिम पृष्ठ देखने से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान था लेकिन अपील जानबूझकर देरी से प्रस्तुत की गयी। अपील 23 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहां वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है वहां अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मुस्लिम विधि में एक तिहाई वसीयत अपने पुत्र को दी जा सकती है। वसीयत 1977 की है, जिसका पंजीबद्ध 1992 में हुआ है। अतः अपील खारिज की जाती है।

4. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.1993 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित बिन्दु व वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में देरी का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.1993 को पारित है, जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 08.04.2013 को होना, यानि लगभग 20 वर्ष पश्चात् ज्ञान होना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट ने देरी का कोई ठोस कारण के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हो। प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.17

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner